मु.नं.–20 / 2021 GCMS ID-2021/23 ता.रजु–16.02.2021

(2)

# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

विपिन सक्सेना निवासी प्लॉट नं. 38, श्याम नगर, देव हॉस्टल के पास, कायड रोड, अजमेर (राज.) पिन 305023 मो.नं. 9887301356 – अपीलार्थी

**बनाम**

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–31.03.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 01.03.21, 24.03.21, 30.03.21, 31.03.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत निदेशालय, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर को आवेदन प्रेषित किया जो वहां से अंतरित होकर प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में ग्राम मण्डरायल के खाता संख्या 66 खसरा नंबर 66 की वर्किंग जमाबंदी, चौसाला जमाबंदी (संवत् 2043–46), पिछले 2 वर्षों की जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस आदि से संबंधित कुल 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की गई है।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2021 / 361 दिनांक 02.03.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु वांछित शुल्क प्राप्त होने पर उनके पत्रांक 136 दिनांक 25.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है। जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अंत में अपील को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलाथी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया है जिससे यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त विनिश्च से संतुष्ट है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली